राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

RPHCCL

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(A Government of Rajasthan Undertaking)

निर्माणाधीन राज्य अन्वेषण ब्यूरो भवन, जयपुर

चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन

4th Annual Report

2016-17

Under construction of Administrative Block at 14th RAC Pahari, Bharatpur

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(A Government of Rajasthan Undertaking)

RPHCCL

चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन

4th Annual Report

2016-17

अनुक्रमणिका

शीर्षक	पृष्ठ सं.
निदेशक मण्डल	4
वार्षिक साधारण सभा की सूचना	6
निदेशकों का प्रतिवेदन	12
स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	40
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	86

CONTENTS

TITLE	PAGE NO.
BOARD OF DIRECTORS	5
ANNUAL MEETING NOTICE	7
DIRECTORS REPORT	13
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	41
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT	87

निदेशक मण्डल

श्री मनोज भट्ट
अध्यक्ष
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

श्री डी.बी.गुप्ता
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
प्रमुख सचिव, पीडब्लूडी, राजस्थान सरकार

श्री अजीत सिंह
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
महानिदेशक, कारागार

श्री सुरेश चन्द्र दिनकर
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
सचिव, वित्त विभाग(व्यय), राजस्थान सरकार

श्री आलोक त्रिपाठी
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
निदेशक, भ्रष्टाचार–निरोधक ब्यूरो

श्री सुब्बीर कुमार
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार

श्री अशोक पाटनी
निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़

श्री जसवंत सम्पत राम
प्रबंध निदेशक
राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड
महानिदेशक, पुलिस आवासन

वैधानिक अंकेक्षक :
गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस

BOARD OF DIRECTORS

Shri Manoj Bhatt
Chairman, RPHCCL,
DGP, Rajastahn

Shri D.B Gupta
Director, RPHCCL,
Principal Secretary, PWD

Shri Ajit Singh
Director, RPHCCL,
DG Jail, Rajastahn

Shri Alok Tripathi,
Director, RPHCCL,
DG ACB,, Rajastahn

Shri Suresh Chandra Dinker,
Director, RPHCCL,
Secretary, Finance Dept.(Expenditure)

Shri Subir Kumar
Director, RPHCCL,
Secretary, Home.

Shri Ashok Patani,
Director, RPHCCL,

Shri Jaswant Sampatram
Managing Director, RPHCCL,
DGP (Housing) Rajastahn

Statutory Auditors:
Garg Narendra & Associates.

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर

पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, कमरा संख्या 105, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015

दिनांक 06.9.2017.

मीटिंग सूचना

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के सदस्यों की चतुर्थ वार्षिक साधारण सभा का आयोजन महानिदेशक पुलिस का चैंबर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में मंगलवार, 29 सितम्बर, 2017 को सांय 5 बजे निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये नियत किया गया है।

सामान्य व्यवसाय

1. वर्ष 2016–17 के कम्पनी के अंकेक्षित वार्षिक लेखों (31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र एवं उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु लाभ व हानि विवरण के साथ उनसे संलग्न लेखों पर टिप्पणियां एवं रोकड प्रवाह)के साथ उन पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन को प्राप्त, विचारित एवं अंगीकृत करना।

2. मैसर्स राकेश अशोक एण्ड कम्पनी को वितीय वर्ष 2017–18 के लिए वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त करने बाबत।

   "**संकल्प किया गया कि** वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स राकेश अशोक एण्ड कम्पनी को यथा कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति को एतद्द्वारा उनके स्वीकृति पत्र के अधीन, पुष्टि की जाती है और मंजूरी दी जाती है।

   आगे संकल्प किया गया कि कम्पनी के निदेशक मण्डल को वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये वैधानिक अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक को नियत करने एवं कम्पनी के वैधानिक

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

IG POLICE HEADQUARTER, ROOM NO. 756, POLICE HEAD QUARTERS,
LAL KOTHI, JAIPUR 302015
CIN: U45201RJ2013SGC043014

Date : 06.09.2017

Meeting Notice

Notice is hereby given that the fourth annual general meeting of the members of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited is scheduled to be held on Friday, 29th September, 2017, at 5.00 PM at the chamber of Director General of Police, Police Headquarters, Lal Kothi, Jaipur to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS :

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year 2016-17 (Balance Sheet as on 31st March, 2017, and Statement of Profit and Loss Account for the year ended on that date, along with Accounting Policies, Notes on Accounts appended thereto and cash flow statement) together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon.

2. To appoint M/s Rakesh Ashok & Co., Statutory Auditors of the Company,

   To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the Act), read with Companies (Audit & Auditors) rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactments thereof, for the time being in force), M/s Rakesh Ashok & Co., Chartered Accountants, be and hereby appointed as the Statutory Auditors for the F.Y 2017-18 at such remuneration as may be decided by the Board of Directors.

अंकेक्षकों की नियुक्ति को प्रभावी करने के लिये सभी कार्य, संलेख एवं बातों को, जो आवश्यक एवं प्रासंगिक हो, करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मण्डल के आदेश से

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिये

पंजीकृत कार्यालय

कमरा संख्या 105,

पुलिस मुख्यालय,

लाल कोठी, जयपुर

06 सितम्बर, 2017

ह0

(ए. पौन्नुचामी)

प्रबंध निदेशक

DIN : 07869683

FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things, as may be necessary and incidental, for giving effect to the appointment of Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2017-18.

By order of the Board

For Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd

Regd. Office

Room No. 756, Police Head Quarters

Lal Kothi, Jaipur

5th September, 2017

Sd/-

(A. Ponnuchamy)

Managing Director

DIN: 07869683

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर

पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, कमरा संख्या 105, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर–302015

टिप्पणी :

1. सभा में उपस्थित होने एवं वोट करने के हकदार सदस्य, अपने स्थान पर, उपस्थित होने एवं वोट करने हेतु प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है एवं प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत् रूप से पूरा किया हुआ निम्नलिखित प्रतिनिधि का प्रपत्र, सभा के प्रारम्भ होने के अड़तालीस घण्टे पूर्व, न कि उसके पश्चात्, वापिस आ जाना चाहिये।

2. कम्पनी की कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत का धारक तथा मतदान के अधिकार वाला कोई भी सदस्य किसी एकल व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या अंशधारी के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।

3. लेखों से सम्बन्धित किसी प्रकार की सूचना चाहने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे कम्पनी को अग्रिमरूप से लिख कर दें ताकि प्रबन्धन सूचना तैयार रख सके।

बोर्ड की आज्ञा से

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED

IG POLICE HEADQUARTER, ROOM NO. 756, POLICE HEAD QUARTERS,
LAL KOTHI, JAIPUR 302015
CIN: U45201RJ2013SGC043014

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not to be a member. In case a proxy is appointed, the instrument of proxy should be returned to the Company, duly completed, no later than forty eight hours before the commencement of the meeting.

2. A member holding ten per cent of the total share capital of the company carrying voting rights, may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder.

3. Members desiring any information relating to accounts are requested to write to the company well in advance so as to enable the management to keep the information ready.

BY ORDER OF THE BOARD

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कम्पनी के व्यवसाय एवं संचालन पर 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों के विवरण एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट सहित चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त 12 माह की अवधि है, जिसके लिये संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित है :

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)	31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष हेतु (रूपये में)
अन्य आय	446474	143973
वर्ष के लिये व्यय	3046365	226777
पूर्वावधि/असाधारण/अपवादात्मक मदें	–	–
वर्ष के लिय कर पूर्व लाभ/(हानि)	(2483197)	(82804)
करों के व्यय (शुद्ध)	–	–
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	(2483197)	(82804)

कार्पोरेट समीक्षा

1. पुलिस हेतु आवास का निर्माण कार्य

जैसा कि सदस्यों को विदित है कि राजस्थान सरकार ने आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृह, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड़, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के निर्माण कार्य का संकल्प किया है और इस कथित कार्य की कार्यान्वति के लिये राज्य सरकार के उपक्रम यथा राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड का गठन किया है।

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited

DIRECTORS' REPORT

Dear Members,

Your Directors are pleased to present the fourth Annual Report on the business and operations of your Company together with the audited statement of accounts for the year ended on 31st March, 2017, and the Auditors' Report thereon.

FINANCIAL RESULTS

The year under report covers a period of 12 months ended on 31st March, 2017, for which the summarized financial results are as under:

Particulars	For the year ended on 31st March, 2017 (in Rs.)	For the year ended on 31st March, 2016 (in Rs.)
Other Income	446474	143973
Revenue expenses for the year	3046365	226777
Prior period/ Extraordinary/ Exceptional items	–	–
Profit/ (loss) before Tax	(2483197)	(82804)
Tax Expenses (Net)	–	–
Profit/ (loss) after Tax	(2483197)	(82804)

CORPORATE REVIEW

1. **Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited :**

   As the members are aware, the Government of Rajasthan (GoR) has resolved to take up Construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan, and the Rajasthan Police Housing Construction & Corporation Ltd. (RPHCC) has been created as an undertaking of the State Government for implementing the said work.

अंशपूंजी एवं वापसी क्रय

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी भी अंश का वापसी क्रय नहीं किया है।

लाभांश

कम्पनीको वर्ष के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। अतः आपके निदेशक वर्ष 2016–17 के लिये कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं करते है।

अंकेक्षक द्वारा कपटप्रेषण

इस वित्तिय वर्ष के दौरानअंकेक्षकों द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट मेंकोई कपट की घटनाओं को सूचित नहीं किया गया है।

निदेशक

वर्ष 2016–17 के दौरान, निम्न यथा कम्पनी के निदेशक नियुक्त किये गयेः

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1.	श्री आलोक त्रिपाठी	14 सितम्बर 2016
2.	श्री जसवन्त सम्पत राम	14 सितम्बर 2016
3.	श्री सुब्बीर कुमार	10 अक्टूबर 2016
4.	श्री अशोक पाटनी	22 दिसम्बर 2016

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी की परिस्थितियों तथा उस अवधिके कम्पनी के लाभ/हानि का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य देने के लिए निदेशकों ने उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन कर समनुरूपता से प्रयुक्त किया एवं निर्णय तथा प्राक्कलन किये, जो युक्तियुक्त व उचित है।

कारपोरेशन

SHARE CAPITAL AND BUY BACK

During this financial year, there has been no change in the authorised and the paid-up share capital of the Company.

Your Company has not done any buy back of shares during the year under review.

DIVIDEND

The Company has incurred loss during the year. Hence your Directors do not recommend any dividend for the year 2016-17.

FRAUD REPORTING BY AUDITOR

During this financial year, no fraudulent events have been reported by the auditor's in their audit report.

DIRECTORS

During the year 2016-17 following were appointed as Directors on the Board of Directors of the Company:

S. No.	Name	Date of Appointment
1.	Shri Alok Tripathi	14th September, 2016
2.	Shri Jaswant Sampatram	14th September, 2016
3.	Shri Subir Kumar	10th October, 2016
4.	Shri Ashok Patni	22nd December, 2016

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company confirms that-

i. In the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed;

ii. the Directors had selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;

(iii) कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व प्रकट करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के संधारण का उचित व पर्याप्त ध्यान रखा गया है, तथा

(iv) निदेशकों द्वारावार्षिक लेखें चल रहे महत्व के आधार पर तैयार किये गये है।

(v) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणाली प्रकल्पित की है एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से संचालित हो रही थी।

मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष 2016–17 के दौरान मण्डल की निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार चारबार बैठक हुई हैं।

निक्षेप

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने जनसाधारण से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन आर सी)

कम्पनी (मण्डल बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा निगम कार्यकलाप मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में,कम्पनी के लिये नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जिसमें 3 या इससे अधिक अकार्यकारी निदेशक होने चाहिये एवं उनमें से स्वतंत्र निदेशक आधे से कम नहीं होने चाहिये, का गठन किया जाना है। तथापि यह इस कम्पनी के मामलें में लागू नहीं है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में, कम्पनी के लिये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, जिसमें 3 या इससे अधिक निदेशक होने चाहिये एवं उनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिये, का गठन किया जाना है। तथापि यह इस कम्पनी के मामलें में लागू नहीं है।

अंकेक्षण समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में, कम्पनी अंकेक्षण समिति का गठन करेगी। तथापि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये यह इस कम्पनी के मामलें में लागू नहीं है।

iii. the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

iv. the Directors have prepared the Annual Accounts on a going concern basis;

v. the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD

The Board has met four times during the year 2016-17 to discuss various issues.

DEPOSITS

During the year under review your Company has not accepted any deposits from public.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

Section 178 of the Companies Act, 2013, read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and the Notification dated 5th June, 2015 of Ministry of Corporate Affairs, GoI, NRC has to be constituted for your Company with three or more non-executive directors out of which not less than one half shall be independent directors. However the same is not applicable in our case.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE

As per the provision of Section 135 of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has to be constituted by the Company consisting of Three or more directors out of which at least one director has to be an independent director. However the same is not applicable in our case.

AUDIT COMMITTEE

Pursuant to Section 177 of the Companies Act, 2013, the Company shall form a Audit Committee. However the same is not applicable for the financial year 2016-17 in our case.

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में इसके आकार के अनुरूप पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

ऋणों, प्रत्याभूतियों एवं निवेशों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण, प्रत्याभूति नहीं दी है या निवेश नहीं किया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक पब्लिक कम्पनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 10 करोड़ रूपये से अधिक है, पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति करेगी। तथापि यह इस कम्पनी के मामलें में लागू नहीं है।

वार्षिक परिलेख (रिटर्न) का उद्धरण

प्रपत्र एमजीटी–9 में वार्षिक परिलेख का उद्धरण इस प्रतिवेदन के साथ यथा परिशिष्ट–1 के संलग्न है।

धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संविदाओं अथवा संबंधित पक्षों के साथ व्यवस्थाओं का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा की गयी संविदाओं/व्यवस्थाओं के ब्यौरे के प्रकटीकरण से संबंधित सूचना इस कम्पनी के मामलें लागू नहीं है क्योंकि वर्ष 2016–17 में कोई कार्य नहीं किया गया था।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(1) के अन्तर्गत प्रकटीकरण

इस प्रतिवेदन की दिनांक एवं वर्ष की समाप्ति के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकें क्योंकि वर्ष के दौरान कोई कार्य नहीं किया गया था।:

कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण –

INTERNAL FINANCIAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The Company has adequate internal financial control system commensurate with the size of the Company which is adequate and operating effectively.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS

The Company has not given loans, guarantees and made investments in terms of provisions of Section 186 of the Companies Act 2013.

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

For the purposes of Section 203 of the Companies Act, 2013, every public Company having the paid up share capital of more than Rs Ten crore shall appoint whole time key managerial personal. However the same is not applicable in our case.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Extract of Annual Return in form MGT-9 is annexed as Addendum-1 with this report.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTY REFERRED TO IN SUB-SECTION (1) OF SECTION 188

Information pertaining to the disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the Company with related parties referred to in Sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013 is not applicable in our case since no work was done in the year 2016-17.

DISCLOSURES UNDER SECTION 134(3)(l) OF THE COMPANIES ACT, 2013

There have been no material changes in commitments that occurred between the end of the year and the date of this report which can affect the financial position of the Company since no work was done during the year

DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

अ.	कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार तथा विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (रिट याचिका (आपराधिक) सं. 666-70/1992) के प्रकरण में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार समिति गठित की गयी।	हाँ
आ.	वर्ष के दौरान प्राप्त हुयी शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं
इ.	वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	प्रयोज्य नहीं
ई.	90 दिवस से अधिक के लिए लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्रयोज्य नहीं
उ.	यौन उत्पीड़न के लिए आयोजित कार्यशालाओं या चेतना कार्यक्रमों की संख्या	कुछ नहीं

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के निबंधनों के अनुसार आरक्षित में अंतरण

प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के लिए, कम्पनी ने कोई राशि आरक्षित में अंतरित नहीं की है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है जिसका ब्यौरा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के अन्तर्गत दिये जाने की आवश्यकता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्य प्रकटीकरण

– कम्पनी की कोई समनुषंगी/सहयुक्त कम्पनी नहीं है।

–भविष्य में चालू समुत्थान स्थिति एवं कम्पनी के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सारभूत आदेशों के ब्यौरों को शून्य माना जाये।

– कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के अन्तर्गत, निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की योग्यता, रचनात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों से संबंधित नीति के प्रकटीकरण के प्रावधानों के लिए एमसीए अधिसूचना

a)	Committee formed as per Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 and the decision of the Supreme Court of India in the case of Vishakha and others vs. State of Rajasthan [writ petition (criminal) no. 666-70/1992].	Yes.
b)	No. of complaints received during the year	NIL.
c)	No. of complaints disposed of during the year	Not Applicable.
d)	No. of cases pending for more than 90 days	Not Applicable.
e)	No. of workshops or awareness programmes against sexual harassment carried out	NIL

TRANSFER TO RESERVES IN TERMS OF SECTION 134(3)(j) OF THE COMPANIES ACT, 2013

For the year under report the Company has not transferred any sum to Reserves.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

There is no employee in the Company whose particulars are required to be given under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

OTHER DISCLOSURES UNDER THE COMPANIES ACT 2013

The Company does not have any Subsidiary/ Associate Company/Joint Venture etc.

The details of the significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and Company's operations in future be treated as NIL.

The provisions of disclosure of policy relating to appointment of directors, payment of managerial remuneration, directors' qualification, positive attribute, independence of directors and other related matters under Section 178(3) of the Companies Act, 2013 has been exempted for Government companies as per MCA notification G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015.

जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियां छूट प्राप्त है।

– मण्डल मूल्यांकन से संबंधित धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के लिए भी एमसीए अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियां छूट–प्राप्त है।

सचिवीय अंकेक्षण

सचिवीय अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये इस कम्पनी के मामलें में लागू नहीं है।

वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वैधानिक अंकेक्षकों ने बिना किसी अर्हता के निर्बाध रिपोर्ट दी है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 नियम 8(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 134(3) (क्यू) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय के विवरण निम्न प्रकार है।

इस संबंध में आपके निदेशक प्रस्तुत करते है कि ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा की आय व व्यय हेतु सभी संभव कदम उठाये जायेगें।

ए. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के लिये सभी संभावित क्षेत्रों में ध्यान रखा जाता है जैसे कि विद्युत, ईधन एवं ऊर्जा उपभोग में बचत एवं प्रबंधन का निरन्तर अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है।ऊर्जा के अधिकतम संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जा रहा है।

बी. प्रौद्योगिकी समावेशनः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यापार की जरूरतों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रौद्योगिकी का समावेशन एवं उसी के अनुकूलन की दिशा में प्रबंधन द्वारा निरंतर और सत्त प्रयासों को सुनिश्चित किया गया है।

सी. विदेशी मुद्रा की आय व व्यय (अर्जन व निर्गम)

वर्ष 2016–17 में कोई विदेशी लेन–देन संव्यवहार नहीं हैं।

The provisions of Section 134(3)(p) relating to Board evaluation are exempted for Government companies as per MCA notification G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015.

SECRETARIAL AUDIT

Secretarial audit is not applicable in our case in the financial year 2016-17.

STATUTORY AUDITORS

Your Directors recommend the appointment of statutory auditors of the Company as per the suggestion made in this behalf by the Comptroller and Auditor General of India.

STATUTORY AUDITORS' REPORT

The statutory auditors have given clean report without any qualification.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The particulars, as required under the provisions of Section 134(3)(q) of the Companies Act, 1956, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, in respect of conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo.

In this respect, your Directors have to submit that all the possible steps will be taken for conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earning and outgo

A. **ENERGY CONSERVATION :**

   The conservation of energy is taken care of in all possible areas like, saving electricity, fuel and power consumption and receives highest attention of the Management on a continuous basis. Several environment-friendly measures are being adopted by the Company to ensure maximum conservation of energy

B. **TECHNOLOGY ABSORPTION :**

C. During the year under review, the management has ensured continued and sustained efforts towards absorption of technology and adaptation of the same to meet business needs and objectives.

D. **FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:**

E. There has been no foreign transaction in the year 2016-17.

सजग कथन

मण्डल के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट कथनों में कुछ विवरण भावी समय से संबंधित है अतः प्रयोज्य विधियों एवं विनियमों के अर्थ के अन्तर्गत दूरंदेशी है। तथापि, विभिन्न घटक जैसेकि आर्थिक परिस्थितियां राजकीय विनियमों में परिवर्तन, कर व्यवस्था, अन्य संविधियां, बाजार, बाध्यताएं एवं अन्य सहयुक्ती व प्रासंगिक घटक के कारण वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते है।

मण्डल के निमित्त और के लिये

ह0

	(ए. पौन्नूचामी)	(आलोक त्रिपाठी)
	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक
दिनांक : 05 सितम्बर, 2017	डीआईएनः 07869683	डीआईएनः 07653593
स्थान : जयपुर		

CAUTIONARY STATEMENTS

The statements contained in the Board's Report contain certain statements relating to the future and therefore are forward looking within the meaning of applicable laws and regulations. Various factors such as economic conditions, changes in Government Regulations, Tax Regime, other statues, market forces and other associated and incidental sectors may however lead to variation in actual results.

For and on behalf of the Board

Date: 5/9/2017	**(A. Ponnuchamy)**	**(Alok Tripathi)**
Place: Jaipur	**Managing Director**	**Director**
	DIN: 07869683	**DIN: 07653593**

निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट–1

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	यू45201आरजे2013एसजीसी043014
ii)	पंजीयन दिनांक	22 जून, 2013
iii)	कम्पनी का नाम	राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़
iv)	कम्पनी का प्रवर्ग/उप–प्रवर्ग	अंशों द्वारा लिमिटेड राज्य सरकार की कम्पनी
v)	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	कमरा सं. 105, नया पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर 302015 दूरभाष : 2744254
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	शून्य

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	आवासीय योजनाओं, कार्यालयों, कारागृह, पुलिस स्टेशन, पुलिसचौकी, पुलिस लाइन, प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस, होमगार्ड़, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के लिये आवास के सिविल निर्माण कार्य।		100 प्रतिशत टिप्पणी : वर्ष 2016–17 में प्रचालन से कोई आय नहीं है जैसाकि वर्ष में कार्य शुरू नहीं हुआ है।

ADDENDUM-1 TO THE DIRECTORS' REPORT

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31.03.2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i)	CIN	U4520RJ2013SGC043014
ii)	Registration Date	22/06/2013
iii)	Name of the Company	Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited
iv)	Category/ Sub-Category of the Company	State Government Company limited by shares
v)	Address of the Registered office and contact details	Room No.105, New Police Head Quarters, Lal Kothi, Jaipur Ph: 2744254
vi)	Whether listed company	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1	Civil construction work of housing schemes, offices, jails, police stations, police posts, police lines, training institutions, accommodations for employees of police, Home Guard, jails and other personals of Home department, Government of Rajasthan		100%

III. नियंत्री, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण– शून्य

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्री समनुषंगी/सहयुक्त	धारित अंशो का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1.					
2.					

IV. अंश धारण पद्वति(कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i. श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए) संप्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(ए) व्यष्टि/हिन्दु अविभक्त कुटुंब									
(बी) केन्द्रीय सरकार									
(सी) राज्य सरकार (सरकारें)									
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर			49994	99.98%			49994	99.98%	–
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता			1	0.00002%			1	0.00002%	–
श्री ए. मुखोपाध्याय			1	0.00002%			0	0	–0.00002%
श्री अजीत सिंह			1	0.00002%			1	0.00002%	–
श्री सुब्बीर कुमार			0	0			1	0.00002%	0.00002%
श्री जसवन्त सम्पतराम			0	0			1	0.00002%	0.00002%
श्री मनोज भट्ट			1	0.00002%			1	0.00002%	–
श्री आलोक त्रिपाठी			0	0			1	0.00002%	0.00002%
श्री भुपेन्द्र कुमार दक			1	0.00002%			0	0	–0.00002%
श्री मोहन लाल लाठर			1	0.00002%			0	0	–0.00002%
(डी) निगमित निकाय									
(ई) वित्तीय संस्थाऐं/बैंक									
(एफ) अन्य									
उप–योग ए (1)			**50000**	**100%**			**50000**	**100%**	
2 विदेश									
(ए) अनिवासी भारतीय– व्यष्टि									
(बी) अन्य – व्यष्टि									
(सी) निगमित निकाय									
(डी) वित्तीय संस्थाऐ/बैंक									

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES - NIL

S. No.	Name of Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary /Associate	% of shares held	Applicable Section
1.					
2.					

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian									
a. Individual/ HUF									
b. Central Govt									
c. State Govt (s)									
Shri Suresh Chandra Dinkar			49994	99.98%			49994	99.98%	-
Sh Devendra Bhushan Gupta		1	0.00002%			1	0.00002%	-	
Sh A. Mukhopadhaya			1	0.00002%			0	0	-0.00002%
Sh Ajit Singh			1	0.00002%			1	0.00002%	-
Sh Subir Kumar			0	0			1	0.00002%	0.00002%
Sh Jaswant Sampatram			0	0			1	0.00002%	0.00002%
Sh Manoj Bhatt			1	0.00002%			1	0.00002%	-
Sh. Alok Tripathi			0	0			1	0.00002%	0.00002%
Sh. Bhupendra Kr Dak			1	0.00002%			0		-0.00002%
Sh. Mohan Lal Lather			1	0.000002%			0		-0.00002%
d. Bodies Corp.									
e. Banks / FI									
f. Any Other									
Sub-total A.(1):-			50000	100%			50000	100%	
(2) Foreign									
a. NRIs - Individuals									
b. Other - Individuals									
c. Bodies Corp.									
d. Banks / FI									

अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ई) अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)									
उप–योग ए (2)									
संप्रवर्तक की कुल अंश धारिता(ए)=ए(1)+ए(2)			50000	100%			50000	100%	
(बी) पब्लिक अंशधारिता									
(1) संस्थाएं									
(ए) पारस्परिक निधियां									
(बी) वित्तीयसंस्थाए/बैंक									
(सी) केन्द्रीय सरकार									
(डी) राज्य सरकार (सरकारें)									
(ई) जोखिम पूंजी निधियां									
(एफ) बीमा कम्पनियां									
(जी) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता									
(एच) विदेशी साहसी पूंजी निधियां									
(आई) अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)									
उप–योग बी(1)									
2 गैर संस्थाएं									
(ए) निगमित निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
(बी) व्यष्टि									
i) एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि									
ii) एक लाख रूपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि									
(सी) अन्य (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)									
उप–योग बी(2)									
कुल पब्लिक अंशधारिता (बी)= बी(1)+बी(2)									
(सी) जीडीआर व एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश									
सर्वयोग (ए+बी+सी)			50000	100%			50000	100%	

Category of shareholders					No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
e. Other (Specify)									
Sub-total A.(2):-									
Total shareholding of Promoter (A) = A.(1)+A.(2)			50000	100%			50000	100%	
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a. Mutual Funds									
b. Banks / FI									
c. Central Govt									
d. State Govt(s)									
e. Venture Capital Funds									
f. Insurance Companies									
g. FIIs									
h. Foreign Venture Capital Funds									
i. Others (specify)									
Sub-total B.(1):-									
2. Non- Institutions									
a. Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									
b. Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh									
c. Others (specify)									
Sub-total (B)(2):-									
Total Public Shareholding (B)=B.(1)+ B.(2)									
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)			50000	100%			50000	100%	

ii. संप्रवर्तको की अंशधारिता

क्र. सं.	अशंधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में गिरवी/विल्लंगमित अंशों का प्रतिशत	
			उपरोक्त					
			(*i*) के समान					

iii. संप्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	5000	100%	5000	100%
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में	5000	100%	5000	100%

iv. शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति (निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

क्र. सं.	शीर्ष 10 अंशधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में (या यदि वर्ष के दौरान पृथक हुआ हो तो पृथक्करण की दिनांक को)				

ii) Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholders's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share holding during the year
		No. of Shares	% of Shares Pledged/ encumbered to Total Shares	% change in share holding during the year	No. of Shares	% of Shares Pledged/ encumbered to Total Shares	% change in share holding during the year	
			Same as (i)					

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Comulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
	At the beginning of the year	5000	100%	5000	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat etc.)				
	At the End of the year	5000	100%	5000	100%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
1	At the beginning of the year				
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
3	At the End of the year (or on the date of seperation, if separated during the year)				

V. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ मं अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)				
	वर्ष के अन्त में				

VI. ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

(रूपये करोड़ में)

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त				
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
– अभिवृद्धि				
– कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु अप्रदत्त				
योग (i+ii+iii)		शून्य		शून्य

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of Total Shares of the company	No. of Shares	% of Total Shares of the company
1	At the beginning of the year				
2	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
3	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in Crores)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year	**NOT APPLICABLE**			
- Addition				
- Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount				
ii) Interest due but not paid due				
iii) Interest accrued but not				
Total (i+ii+iii)		**NIL**	**NIL**	

VI. निदेशकों एवंप्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम					कुल राशि
1	सकल वेतन (ए)आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य						
	(सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ						
2	स्टाक विकल्प						
3	स्वेट साम्या						
4	कमीशन						
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें						
	योग (ए)						
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा						

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम				कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक – मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (1)					
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक – मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क – कमीशन – अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।					
	योग (2)					
	योग (बी)=(1+2)					
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा					

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager :

(In Rupees)

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager					Total Amount
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961						
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961						
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961						
2.	Stock Option						
3.	Sweat Equity						
4.	Commission						
	- as % of profit						
	- others, specify…						
5.	Others, please specify						
	Total (A)						
	Ceiling as per the Act						

B. Remuneration to other directors :

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
1.	Independent Directors - Fee for attending board committee meetings - Commission - Others, please specify					
	Total (1)					
2.	Other Non-Executive Directors - Fee for attending board committee meetings - Commission - Others, please specify					
	Total (2)					
	Total (B)=(1+2)					
	Total Managerial Remuneration					
	Overall Ceiling as per the Act					

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम			
1	सकल वेतन				
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन				
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य				
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ				
2	स्टाक विकल्प				
3	स्वेट साम्या				
4	कमीशन				
	– यथा लाभ का प्रतिशत				
	– अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें				
	योग				

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/ अधिरोपित प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दंड					
प्रशमन					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड					
प्रशमन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
प्रशमन					

मण्डल के निमित्त और के लिये

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

–ह0–
(ए.पौन्नूचामी)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07869683

–ह0–
(आलोक त्रिपाठी)
निदेशक
डीआईएन : 07653593

C. Remuneration to key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(In Rupees)

S. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961				
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option				
3.	Sweat Equity				
4.	Commission				
	- as % of profit				
	- others, specify...				
5.	Others, please specify				
	Total				

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES :

Type	Section of the Companies Act	Brief Discription	Details of Penalty / Punshment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/Court)	Appeal Made If any (Give Detaiils)
A. COMPANY					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board

Date: 5/9/2017
Place: Jaipur

(A. Ponnuchamy)
Managing Director
DIN: 07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN: 07653593

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान पुलिस आवासन एवं
निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशकगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से सम्पादित किये गये थे।

अंकेक्षको का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तदायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरण पत्रों पर राय व्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और अंकेक्षण मानक एवं ऐसी विषय वस्तु जो अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, को विचार में लिया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करें एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अनुपालन सम्मिलित है। चाहे कपट या त्रुटि के कारण, सारवान् अयथार्थ विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित अंकेक्षकों के निर्णय पर, प्रक्रियाओं का चयन निर्भर करता है। उन जोखिमों का निर्धारण करने में, अंकेक्षक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि उन परिस्थितियों में उचित है, की योजना तैयार करने में कम्पनी का वित्तीय विवरणों के स्वच्छ प्रस्तुतीकरण एवं तैयारी से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का विचार करते है। अंकेक्षण में, प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों की उपयुक्तता एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गये लेखा प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन सम्मिलित है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणो पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Board of Directors of

Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **M/s Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.** ('the Company'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017 and the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

अभिमत

हमारे उपरोक्त 'विशेषित अभिमत हेतु आधार' के पैरा में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को चाही गई रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में सामान्यतः प्रचलित लेखा सिद्वान्तों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है।

(ए) 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के कार्यकलाप की परिस्थिति पर तुलन–पत्र के मामले में।

(बी) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि के "लाभ व हानि खातों" केमामलें में।

(सी) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के रोकड़ प्रवाह के "रोकड़ प्रवाह विवरण" के मामलें में।

अन्य विधिक एवं विनियमाक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2017 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित है एवं कार्पोरेशन की लेखा पुस्तकों तथा अभिलेखों जिन्हें हमने उपयुक्त माना, की ऐसी जांच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक में कथन किया है।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर कम्पनी की पुस्तकों एवं दस्तावेजों की हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांच तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के आधार पर, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार रिपोर्ट ''अनुलग्नक–बी'' में संलग्न कर रहें है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम वर्णन करते है कि –

   (ए) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

   (बी) हमारे मत में, जहां तक इन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रकट होता है, हमारे विचार में विधि द्वारा अपेक्षित लेखों की उचित पुस्तकों को रखा गया है।

   (सी) इस प्रतिवेदन में व्यावहारित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों की अनुरूपता लिये हुये है।

   (डी) हमारे अभिमत में, पूर्वकथित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

   (इ) 31 मार्च, 2017 को निदेशक मण्डल के रिकार्ड पर लिया गया निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार, 31 मार्च, 2017 को यथा निदेशक के नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

   (ऊ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अनुलग्नक–ग में हमारी प्रथक रिपोर्ट देखें।

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true ad fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at **March 31, 2017**

b) in the case of the Statement of Profit & Loss, of the Loss for the year ended on that date; and

c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirement

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ('the Order') issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the "Annexure A" on the directions issued by Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

(c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid financial statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(e) On the basis of the written representations received from the Directors as on March 31, 2017, taken on record by the Board of Directors, none of the Directors is disqualified as on March 31, 2017 from being appointed as a Director in terms of section 164(2) of the Act.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure 'C'

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कम्पनी में कोई लम्बित मुकदमें नहीं है जिनके प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

ii) कम्पनी ने प्रचलित कानून या लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा में पूर्वानुमेय हानियां, यदि कोई हो, हेतु प्रावधान किये है।

iii) कम्पनी द्वारानिवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तान्तरित करने वाली अपेक्षित राशि को हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं है।

iv) 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरन कम्पनी के पास विशिष्ट बैंक नोटों की कोई धारिता या कोई व्यवहार नहीं था। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 18 देखें।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी
ह0
(अदिति तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 411816

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Company has no pending litigations that require disclosure.

ii) The Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts; and

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv) The Company did not have any holding or dealing in specified bank notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016. Refer note no. 18 to the financial statements.

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

PLACE : JAIPUR
DATED: 05.09.2017

sd
(AditiTotuka)
Partner
M.No. 411816

अंकेक्षकों के स्वतंत्र प्रतिवेदन का अनुलग्नक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' के पैरा 1 में संदर्भित

i. कम्पनी की स्थाई आस्तियों के सम्बन्ध में–

(क) कम्पनी ने परिमाणात्मक विस्तृतियों तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर स्थाई आस्तियों की अवस्थिति सहित पूर्व विशिष्टियां दर्शाते हुए समुचित अभिलेख संधारित किया है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबन्धन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अन्तरालों पर सभी सम्पूर्ण आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार तथा आस्तियों की प्रकृति के अनुरूप युक्ति संगत है। जैसाकि स्पष्ट किया गया है, ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई तात्विक त्रुटि नहीं पायी गयी थी।

(ग) कम्पनी के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, इसलिए आदेश के उपाबन्ध 3 (1) (सी) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है।

ii. हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में कोई स्थिर आस्तियां नहीं है। अतः आदेश के खण्ड 3(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

iii. हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी कोई इन्वेन्ट्री वहन नहीं करती है। अतः आदेश के खण्ड 3(ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

iv. हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने, अधिनियम की धारा 189 के अधीन रखे गये रजिस्टर में आवृत कम्पनियों, फर्मों एवं अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के खण्ड (iii)(ए) व (बी) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है एवं उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

v. हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित खण्ड 3(iv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है क्योकि कम्पनी ने अभी तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

vi. हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अर्थान्तर एवं धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कम्पनी ने कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

vii. हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिये समीक्षाधीन अवधि में लागत अभिलेखों को संधारण करना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) की धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित नहीं किया गया है।

viii. वैधानिक बकायों के संबंध में हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार –

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

i. In respect of the fixed assets of the Company

(a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantatative details and situation of fixed assets on the basis of available information.

(b) As explained to us, all the full assets have been physically verified by the management during the year at reasonable intervals, which in our opinion, is reasonable having record to the size of the company and the nature of the asset. As explained, no material descipency was noticed on such physical verification.

(c) The Company has no immovable property, therefor the provision of the clause 3(1)(c) of the order are not applicable to the company.

ii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company does not have any fixed assets. Therefore, the provisions of the clause 3(i) of the Order are not applicable to the Company.

iii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company does not have any inventories. Therefore, the provisions of the clause 3(ii) of the Order are not applicable to the Company.

iv. According to information and explanations given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms and other parties covered in register maintained under section 189 of Companies Act 2013. Accordingly, the provisions of clause 3(iii) (a) and (b) of the order are not applicable and hence not commented upon.

v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of said clause 3(iv) are not applicable to the company since the company has not yet started its commercial production.

vi. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of the directives issued by the Reserve bank of India and the provisions of section 73 to 76 or any relevant provisions of the companies act, 2013 and the rules made there under.

vii. We have been explained that the maintenance of cost records has not been prescribed by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 for the period under review for any of the products of the company.

(ए) कम्पनी साधारणतया प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर एवं अन्य वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवा रही है। तथापि, कुछ मामलो में विलम्ब हुआ है।
निर्विवादित वैधानिक बकायों यथा प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर एवं अन्य सारभूत वैधानिक देय 31.03.2017 को उनके देय होने की तिथि से छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।तथापि, प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क कम्पनी पर लागू नहीं है।

(बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं के अनुसार,प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर की ऐसी कोई बकाया नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है।

ix. हमारी राय में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं सूचना के अनुसार, बैंकों के बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी दोषी नहीं रही हैं। कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है एवं कोई डिबेंचर जारी नहीं किये है।

x. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज सहित) एवं सावधि ऋणों द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

xi. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान न तो कम्पनी से और न ही कम्पनी द्वारा या इसके अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट/दुराचार कम्पनी के ध्यान में आया या प्रकट किया गया है ।

xii. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई प्रबंकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। अतः आदेश के पैरा 3 (xi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

xiii. हमारी राय में कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 4 (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

xiv. हमारी राय में, संबंधित पक्षकारों से सभी संव्यवहार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन संव्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है। तथापि वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

xv. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न

viii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

(a) The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Wealth Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities, though there is slightly delay in few cases.

There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Wealth Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2017 for a period of more than six months from the date they became payable. However PF, ESI, Sales Tax and Value Added Tax, duty of Customs, duty of Excise are not applicable on the company.

(b) According to the information and explanations given to us, there were no dues of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax and Value Added Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Cess which have not been deposited on account of any dispute.

ix. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to banks. The Company has not taken any loan either from financial institutions or front the government and has not issued any debentures.

x. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer including debt instruments and term Loans. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Orderare not applicable to the Company.

xi. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

xii. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, no managerial remuneration has been paid or provided thus provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the company.

xiii. In our opinion, the Company is not a Nidhi Company.Therefore the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicableto the Company.

xiv. In our opinion. alltransactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards. However there is no transaction with the related parties during the year.

ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्य डिबेंचर का प्लेसमेंट किया गया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3 (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है एवं अतः उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

xvi. क्रियान्वित की गई अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

xvii. हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xvi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

xv. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

xvi. Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company.

xvii. In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934andaccordingly,theprovisions of clause3(xvi)of the Order are not applicable to the Company.

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक –बी

(समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा ''अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के अधीन परिच्छेद 2 में संदर्भित)

ए. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के संबंध में।

क्र.सं.	निर्देश	टिप्पणी
1	क्या कम्पनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी के लिये स्पष्ट स्वत्व/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टेदारी भूमि जिसके स्वत्व/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है, का क्षेत्र बतायें।	कम्पनी के पास कोई स्थायी आस्तियां नहीं है।
2	क्या ऋणों/उधारों/ ब्याज इत्यादि का कोई अपलेखन/अधित्याग का मामला है। यदि हां तो उनके कारण एवं उनसे प्रभावित राशि अंकित करे।	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।
3	सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से यथा उपहार के प्राप्त आस्तियों एवं तृतीय पक्षों की पास रखी हुई सामग्री के लिये क्या उचित अभिलेखों का संधारण किया गया है।	कम्पनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी
ह0
(अदिती तोतुका)
साझेदार
सं.सं. 411816

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

ANNEXURE 'B' TO TIIE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements'section of our report of even date)

A. In Respect of directions issued by Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013.

S.No	Directions	Comments
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.	The company has no fixed assests
2.	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	No such case.
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.	The company has no inventory

For GargNarendra& Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

PLACE : JAIPUR
DATED: 05.09.2017

Sd
(AditiTotuka)
Partner
M.No. 411816

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकता भाग के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के उपाबन्ध (आई) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **मैं. राजस्थान पुलिस हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि.** (''कम्पनी'') की 31 मार्च, 2017 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का कम्पनी के उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन, भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी (मार्गदर्शन टिप्पणी) में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के परमावश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व संधारित करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम 2013 के अन्तर्गत यथापेक्षित कम्पनी की नीति की अनुपालना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों तथा त्रुटियों की रोकथाम व खोजबीन, लेखाभिलेखों की यथार्थता व पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित व दक्ष संचालन सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित हो रहे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का आकार क्रियान्वयन तथा संधारण शामिल है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करने का है। हमने हमारा अंकेक्षण भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी किए गए तथा अधिनियम की धारा 143 (10) के अन्तर्गत विहित किये गए मानित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पण (मार्ग दर्शन टिप्पण) तथा मानक लेखांकन (मानक) के अनुसार, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रयोज्य किसी अंकेक्षण की सीमा तक, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी अंकेक्षण लिए प्रयोज्य तथा दोनों भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी किए गए, सम्पादित किया है। इन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणों की वांछना है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं की अनुपालना करते हैं तथा अंकेक्षण को यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजित व निष्पादित करना कि क्या वित्तीय रिपोटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व संधारित था तथा क्या ऐसे नियंत्रण तात्विक दृष्टि से प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारे अंकेक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनके प्रभावी रूप से प्रचालन में रहने के लिए अंकेक्षण साक्ष्य जुटाने के लिए कार्यविधि का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे अंकेक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की सूझबूझ प्राप्त किया जाना।

इस जोखिम का निर्धारण कि तात्विक कमजोरी विद्यमान है, तथा निर्धारित की गई जोखिम पर आधारित आन्तरिक नियंत्रण का आकार तथा प्रभावकारिता से कार्यशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाना शामिल है। कार्यविधि का चयन, वित्तीय विवरणों की तात्विक गलत बयानी, चाहे कपट से हो या त्रुटि से, की जोखिम के निर्धारण सहित, अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है।

ANNEXURE 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 2 under report on other leagal and regulatory requirements section of our report of even date.)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of of **M/s Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.** ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policy, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on audit of Internal financial controls over financial reporting ('the guidance note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting includes obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हम विश्वास करते हैं कि अंकेक्षण साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग तथा बाह्य प्रयोजनों से सामान्यत: स्वीकारे गए लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में उचित आश्वासन प्रदान किए जाने के लिए प्रतिरुपित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों तथा कार्यविधियों का समावेश होता है जो (1) ऐसे अभिलेख जो कम्पनी की आस्तियों के संव्यवहारों तथा निस्तारणों का यथार्थ व उचित युक्तिसंगत विस्तृति दर्शाने वाले अभिलेख के संधारण से सम्बन्धित है। (2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते है कि सामान्यत: स्वीकारे गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाना अनुमत करने के लिए यथावश्यक संव्यवहार अभिलिखित किए जाते हैं तथा यह कि कम्पनी की प्राप्तियां तथा व्यय कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों को प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की आस्तियों की/के अनाधिकृत अवधि या निस्तरण जो वित्तीय विवरणों को वस्तुपरक प्रभावित कर सकते है, की रोकथाम तथा समय पर खोजबीन के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित परिसीमायें

दुरभिसन्धि की सम्भावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबन्धन निर्णय सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित परिसीमाओं के कारण भूल के कारण वस्तुपरक अयथार्थ विवरण या कपट हो सकते हैं और उनका पता नहीं लग सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के भविष्य की अवधि के प्रक्षेपण भी इस जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन या यह कि नीतियों या कार्यप्रणालियों की अनुपालना की अवस्था में अवनति होने से अपर्याप्त हो गयी हैं।

अभिमत

हमारे मत से कम्पनी सभी वस्तुपरक दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण रखती है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, भारत की सनदी लेखाकारों की संस्था (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी (मार्गदर्शन टिप्पणी) में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रण के परमावश्यक अवयवों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2017 तक प्रभावी रूप से कार्यशील थे।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
एफआरएस 008712 सी

अदिति तोतुका
साझेदार
एम. नं. 411816

स्थान – जयपुर
दिनांक 05.09.2017

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of th financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the company has in all material respects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in thje guidance not on the audit of internal financial controls over financial reporting issued by Institute of Chartered Accountants of India.

For Garg Narendra& Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

PLACE : JAIPUR
DATED: 05.09.2017

Sd
(AditiTotuka)
Partner
M.No. 411816

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014

31 मार्च, 2017 को तुलन–पत्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
I. साम्या एवं दायित्व			
(1) अंशधारकों की निधि			
(ए) अंश पूंजी	2	50,00,000	50,00,000
(बी) आरक्षित एवं अधिशेष	3	(29,93,071)	(5,09,875)
(3) गैर–चालू दायित्व			
(ए) आस्थगित कर दायित्व	4	–	–
(बी) अन्य गैर–चालू दायित्व	5	52,27,900	–
(4) चालू दायित्व			
(ए) अल्पावधि उधारें	–	–	
(बी) चालू दायित्व	6	9,79,69,198	50,00,000
(सी) अन्य चालू दायित्व	7	68,99,123	148,418
कुल		**11,21,03,150**	**96,38,543**
II. आस्तियां			
(1) गैर–चालू आस्तियां			
(ए) स्थिर आस्तियां	8	62,356	–
(बी) गैर–चालू निवेश		–	–
(सी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		–	–
(डी) अन्य गैर–चालू आस्तियां		–	–
(2) चालू आस्तियां			
(ए) चालू निवेश		–	–
(बी) इन्वेन्ट्रि (सम्पत्ति सूची)		–	–
(सी) व्सवसायिक प्राप्य		–	–
(डी) नकद एवं बैंक शेष	9	11,18,91,080	95,67,034
(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	10	29,631	43,202
(एफ) अन्य वर्तमान सम्पत्ति	11	120,083	28,307
कुल		**11,21,03,150**	**96,38,543**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1			
लेखों पर टिप्पणियां 2 से 20			

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
(अदिती तोतुका)	**(ए.पौन्नूचामी)**	**(आलोक त्रिपाठी)**	**(अजीत सिंह)**
साझेदार	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 070530	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593	डीआईएन : 06577646

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholder's funds			
(a) Share capital	2	5,000,000	5,000,000
(b) Reserves and surplus	3	(2,993,071)	(509,875)
(3) Non-Current liabilities			
(a) Deffered tax liability	4	–	–
(b) Other non current liabilities	5	5,227,900	–
(4) Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	-	–	
(b) Current liabilities	6	97,969,198	5,000,000
(c) Other Current Liabilities	7	6,899,123	148,418
Total		**112,103,150**	**9,638,543**
II. ASSETS			
(1) Non-current assets			
(a) Fixed assets	8	62,356	–
(b) Non-current investments		–	–
(c) Long term loans and advances		–	–
(d) Other non-current assets		–	–
(2) Current assets			
(a) Current investments		–	–
(b) Inventories		–	–
(c) Trade receivables		–	–
(d) Cash and bank balances	9	111,891,080	9,567,034
(e) Short-term loans and advances	10	29,631	43,202
(f) Other Current assets	11	120,083	28,307
Total		**112,103,150**	**9,638,543**
Significant accounting policies	1	–	–
Notes on accounts	2 to 20		

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)
Managing Director
DIN:07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN:07653593

(Ajit Singh)
Director
DIN:06577546

Place : Jaipur
Date : 05.09.2017

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये लाभ व हानि खाता विवरण

(राशि रूपयों में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये	31 मार्च, 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये
I परिचालन से राजस्व	12	116694	–
II अन्य आय	13	4,46,474	143,973
III कुल राजस्व (I+II)		5,63,168	1,43,973
IV व्यय :			
कार्मिक परिलाभ व्यय	14	23,70,993	–
वित्तीय व्यय		–	–
परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय हास	15	6,66,927	2,26,777
	8	8,444	–
कुल व्यय		**30,46,364**	**226,777**
V अपवादात्मक एवं असाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)(**III-IV**)		(24,83,196)	(82,804)
VI अपवादात्मक मदें		–	–
VII असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)(**V+VI**)		(24,83,196)	(82,804)
VIII असाधारण मदें		–	–
IX कर पूर्व लाभ/(हानि)(**VII-VIII**)		(24,83,196)	(82,804)
X कर के व्यय		–	–
XI कर पश्चात् लाभ/(हानि)(**IX-X**)		(24,83,196)	(82,804)
XII प्रति साम्या अंश उपार्जन :			
मूल एवं मन्दित	16	(49.66)	(1.66)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		
लेखों पर टिप्पणियां	2 से 20		

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
(अदिति तोतुका)	**(ए.पौन्नूचामी)**	**(आलोक त्रिपाठी)**	**(अजीत सिंह)**
साझेदार	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 070530	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593	डीआईएन : 06577646

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

STATEMENT OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
I. Revenue from operations	12	116,694	-
II. Other income	13	446,474	143,973
III.Total revenue (I +II)		**563,168**	**143,973**
IV. Expenses:			
Employee benefit expenses	14	2,370,993	-
Financial Expenses		-	-
Operational, administrative & other expenses	15	666,927	226,777
Depreciation	8	8,444	-
Total expenses		**3,046,364**	**226,777**
V. Profit/(Loss)before exceptional & extraordinary items & tax (III - IV)		(2,483,196)	(82,804)
VI. Exceptional items		–	–
VII. Profit/(Loss) before extraordinary items and tax (V + VI)		(2,483,196)	(82,804)
VIII. Extraordinary items		–	–
IX. Profit before Prior period items and tax (VII-VIII)		(2,483,196)	(82,804)
X. Prior period items		–	–
XI. Profit/(Loss) before tax (VII - VIII)		(2,483,196)	(82,804)
XII. Tax expense		–	–
XIII. Profit/(Loss) after tax (IX-X)		(2,483,196)	(82,804)
XIV. Earning per equity share :			
Basic & diluted	16	(49.66)	(1.66)
Significant accounting policies	1		
Notes on accounts	2 to 20		

As per our separate report of even date

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)
Managing Director
DIN:07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN:07653593

(Ajit Singh)
Director
DIN:06577546

Place : Jaipur
Date :

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर

सीआईएनः यू 45201आरजे2013एसजीसी043014

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह विवरण

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	
	विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
ए. संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह				
कर पूर्व लाभ		(24,83,196)		(82,804)
जोडिये : हास		8,444		
	(24,74,752)		(82,804)	
कार्यरत पूंजी प्रभारों के पूर्व संचालन लाभ				
कार्यरत पूंजी में परिवर्तन				
(ए) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13,571		(14,398)	
(बी) अन्य चालू सम्पित्तियां	(91,776)		(28,307)	
(सी) चालू दायित्व	9,29,69,198		-	
(डी) अन्य चालू दायित्व	67,50,705		5,129,495	
	9,96,41,698		(5,086,790)	
संचालन से नकद की उत्पति		9,71,66,946		(50,03,986)
प्रदत्त आय कर		.		.
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद की उत्पति		9,96,41,698		(5,086,790)
बी. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
स्थिर आस्तियां की खरीद		70,800		–
निवेश गतिविधि में इस्तेमाल शुद्व नगदी		70,800		–
सी. वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
धरोहर राशि की प्राप्ती	52,27,900	52,27,900		
अंश पूंजी में शुद्ध वृद्धि			52,27,900	–
वित्तीय गतिविधि में प्रयुक्त शुद्ध नकद				
शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ए+बी+सी)		**10,23,24,046**		**(5,003,986)**
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समतुल्य		**95,67,034**		**4,563,048**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		**11,18,91,080**		**9,567,034**

रोकड प्रवाह विवरण, लेखांकन मानक 3(ए एस–3) प्रवाह विवरण के पैरा 18 के अंतर्गत यथा विहित अप्रत्यक्ष विधि को अंगीकृत करते हुए तैयार किये गये हैं।

हमारी समतिथि की पृथक रिपोर्ट के अनुसार
कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
(अदिती तोतुका)	**(ए.पौन्नूचामी)**	**(आलोक त्रिपाठी)**	**(अजीत सिंह)**
साझेदार	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 070530	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593	डीआईएन : 06577646

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

Room No.756,Police Headquarters,Lal Kothi Scheme,jaipur

CIN-U45201RJ2013SGC043014

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

(Amount in Rs.)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017		For the year ended 31st March, 2016	
A. Cash flow from Operating Activities Profit before tax		**(2,483,196)**		**(82,804)**
Add: Depreciation		8,444		–
		(2,474,752)		**(82,804)**
Operating Profit before Working Capital changes				
Change in working capital				
(a) Short-term loans & Advances	13,571		(14,398)	
(b) Other Current assets	(91,776)		(28,307)	
(c) Current Liabilities	92,969,198			
(d) Other Current Liabilities	6,750,705		5,129,495	
		99,641,698		5,086,790
Cash Generated from Operations		97,166,946		5,003,986
Income Tax Paid		–		–
Net cash generated from operating activity		97,166,946		5,003,986
B. Cash flow from Investing Activities				
Purchase of Fixed assets		(70,800)		–
Net cash used in investing activity		**(70,800)**		**–**
C. Cash flow from Financing Activities Earnest money received	5,227,900	5,227,900	–	–
Net Cash from Financing Activity		**5,227,900**		**–**
Net Cash Flow (A+B+C)		**102,324,046**		**5,003,986**
Opening Cash & Cash Equivalents		**9,567,034**		**4,563,048**
Closing Cash & Cash Equivalents		**111,891,080**		**9,567,034**

The Cash flow statement has been prepared by adopting the indirect method as prescribed under paragraph 18 of Accounting Standard 3(AS-3) on " Cash Flow Statement".

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(Rakesh Totuka)
Partner
M.No. 070530

(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)
Managing Director
DIN:07869683

(Alok Tripathi)
Director
DIN:07653593

(Ajit Singh)
Director
DIN:06577546

Place : Jaipur
Date :

सामान्य जानकारी **टिप्पणी संख्या 1.**

कम्पनी को सेवारत पुलिस एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के हितों हेतु आवासीय योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिये स्थापित किया गया है।

राजस्थान राज्य पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ पुलिस, होमगार्ड, कारागार के कर्मचारियों एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार के अन्य कार्मिकों के आवास के लिये, सड़क मल–व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था के निर्माण और सभी प्रकार के सिविल व विद्युत व अन्य कार्यों सहित भवन निर्माण के कार्य को महत्व देगा।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समय –समय पर कम्पनी ने अपना प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमति हेतु प्रस्तुत किया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(1) वित्तीय विवरणों की तैयारी और लेखांकन के आधार

प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अनुसार लेखें ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत लेखांकन के संभूति आधार पर तैयार किये गये है। इन वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में निगम कार्यकलाप मंत्रालय द्वारा जारी किया गया साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2013 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानको के साथ सभी सारवान पहलूओं की पालना हेतु तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियां जो विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं है, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के सुसंगत है।

(2) प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार करने के लिये, प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित राशि एवं समाश्रित दायित्वों के प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान परिचालनों के परिणाम को प्रभावित करने वाले घटकों का पूर्वानुमान एवं आंकलन करना अपेक्षित है। यद्यपि ये प्राक्कलन प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं और कार्यों के उत्तम ज्ञान पर आधारित है, परन्तु वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते है।

प्रत्येक तुलन–पत्र की दिनांक को प्राक्कलन एवं निहित पूर्वधारणाओं की समीक्षा की जाती है। प्राक्कलनों में संशोधन को उस अवधि में जिसमें परिणाम ज्ञात होते है, मान्यता दी जाती है।

(3) राजस्व मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है तथा आय–व्यय के महत्वपूर्ण मदों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता देती है।

(i) कम्पनी, राजस्थान सरकार के गृह विभाग के लिए तथा के निमित्त, सरकार द्वारा कार्यों की स्वीकृति के अनुसार तथा सरकार द्वारा प्रत्येक निर्माण संविदा के लिए पृथक से निधि दिए जाने पर एक एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। कम्पनी सरकार के लिए तथा निमित्त संविदाकारों को कार्य दे रही है क्योंकि कुल लागत सरकार द्वारा वहन की जानी है तथा कम्पनी केवल इसकी एजेन्सी सेवाओं के लिए उपगत

General Information Note No. 1

The Company is established to formulate and execute housing scheme for the benefit of serving police and other personnel in the Home Department of the Government of Rajasthan.

The Rajasthan State Police Housing and Construction Corporation Ltd. will emphasis on the work of construction of building including the construction of roads, sewerage, drainage and all type of civil and electric and other works for the housing of the employees of police, home guards, jails, and other personals in the home department, Government of Rajasthan.

The company submits its proposals/projects to attain its objective to the finance department for its kind approval, from time to time.

Significant Accounting Policies

1. Basis of preparation and accounting

The accounts are prepared on the accrual basis of accounting under the historical cost convention in accordance with the applicable accounting standards. These financial statements have been prepared to comply with all material aspects with the accounting standards notified under section 211(3C) of the Companies Act, 2013(the Act) read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013.Accounting policies not specifically referred to otherwise are consistent with generally accepted accounting principles.

2. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed at each Balance Sheet date. Revisions in the estimates are recognized in the periods in which the results are known/ materialize.

3. Revenue Recognition

The Company follows mercantile system of accounting and recognizes significant items of income & expenditure on accrual basis. The following recognition criteria must also be met before revenue is recognised.

(i) The company is working as an agency for and on behalf of Home Department (incl. its sections) of Government of Rajasthan as per the sanctions of the works by the government and release of funds by the government separately for each construction contract. The Company is awarding the work to the contractors for

वास्तविक राशि के यथानुपात 9 प्रतिशत की दर पर की पात्र है। इसलिए, कम्पनी वर्ष के दौरान निर्माण गतिविधियों पर उपगत वास्तविक राशि की नो प्रतिशत की सीमा तक राजस्व मान रही है।

(ii) निर्माण संविदाओं पर सेवा कर यथा प्रयोज्य प्रतिलोभ प्रभार कार्यविधि सहित, संविदाकार/निगम द्वारा संदत्त/विमुक्त किया जा रहा है।

(iii) वर्ष के दौरान निगम अपनी आय पर यथानुपात एजेन्सी प्रभारों पर सेवाकर का संदाय कर रहा है।

(iv) सरकार से प्राप्त निधियों को परियोजनावार चालू देयताओं के मदान्तर्गत अग्रदान निधियों के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है तथा उपयोग में लायी गयी राशि को सम्बन्धित निधि लेखें मे ंसे दर्शाया तथा समायोजित किया जाता है और विवरण सम्बन्धित सरकारी विभाग को भेजा जा रहा है।

(v) कम्पनी को सरकार से परियोजनावार प्राप्त अग्रदाय निधि का, संविदाकार द्वारा सम्पादित निर्माण गतिविधि के लिए वास्तविक आधार पर संविदाकारों को भुगतान किए जाने के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं है। संविदाकार को भुगतान, केवल मापन पुस्तिका, जिसमें कार्य की प्रगति अंकित की जाती है और जब एक बार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो किया जाता है। यदि परियोजना मद में प्राप्त निधि में से, कार्य पूरा हो जाने तथा निर्माण गतिविधि की विमुक्ति के पश्चात् कोई निधिशेष रहता है, तो इसे सरकार को लौटा दिया जाता है।

(vi) ब्याज आय, निवेशित राशि तथा प्रयोज्य दर को ध्यान में रखते हुए, समय समानुपात आधार पर मानी जाती है।

(4) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियां, संचित ह्रास और क्षीणता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर उनके निर्माण के अधिग्रहण की लागत पर वर्णित है। लागत में आस्तियों की क्रय लागत, शुल्क उद्ग्राह्यतायें तथा आस्तियों को प्रबन्धन द्वारा इनके अभिप्रेत उपयोग की दशा में लाने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य लागत समाविष्ट है। यह प्रतिदेय करों रहित होगी।

(5) ह्रास व बंधक

i. किसी भी आस्ति मद के प्रत्येक हिस्से पर ह्रास, कम्पनीज अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति पर लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य रखते हुए, परिकलित किया जाएगा। किसी आस्ति मद का प्रत्येक हिस्से जो मद की कुल लागत के सापेक्ष में महत्वपूर्ण है, को पृथक से ह्रासित किया जाएगा। कम्पनीज् अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के भाग सी में यथा परिभाषित किसी आस्ति का उपयोगी जीवन काल, सभी अमूर्त आस्तियों के लिए लिया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किसी आस्ति का अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी जीवन काल तथा परिवर्तन यदि कोई हो, को लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा।

ii. प्रत्येक 5000/– रु. तक के मूल्य की आस्तियों को इसकी अवाप्ति के वर्ष में ही पूर्णत: ह्रासित कर दिया जाएगा।

and on behalf of the government as the total cost is to be borne by the Government and the Company is only entitled for its agency services, a pro rata charges @ nine per cent of the actual amount incurred. The Company is therefore, recognizing the revenue to the extent of nine per cent of the actual amount incurred on the construction activities during the year.

(ii) The Service tax on construction contracts is being paid/discharged by the contractor / corporation as per prevailing Service Tax law including reverse charge mechanism as applicable

(iii) The Corporation is paying service tax on its income as pro rate/ agency charges during the year.

(iv) The funds received from the government are accounted for as imprest funds project-wise under the head current liabilities and the amount utilized is shown and adjusted from the respective fund account and the statement is being sent to the concerned govt. department.

(v) The company is not allowed to utilize the imprest fund received project-wise from the government for any purpose other than making payments to the contractors on actual basis for construction activity carried out by the contractor. The payment is made to the contractor only on the basis of Measurement Book wherein the progress of construction work is measured and once approved by the concerned authority the payment is made to the contractor. If any fund balance remains out of fund received in the project account on completion and discharging the liability of the construction activity, it is returned to the government.

(vi) Interest income is recognized on time proportion basis taking into account the amount invested and rate applicable.

4. Tangible Assets:

Tangible Assets are stated at their cost of acquisition of construction less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, duties, levies and any directly attributable cost of bringing the assets to their working condition for its intended use by the management. It shall exclude refundable taxes.

5. Depreciation & Amortisation

i. Depreciation on each part of an item of asset will be calculated on WDV method in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 keeping 5% of cost as residual value. Each part of an item of asset with a cost that is significant in relation to total cost of the item will be depreciated separately. The useful life of an asset as defined in the Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013 will be taken for all tangible assets. The residual value and useful life of an asset at the end of each financial year and the changes, if any, shall be accounted for as change in accounting estimates.

ii. Assets costing upto ` 5000/- each shall be fully depreciated in the year of its acquisition.

(6) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों को जब ही मान्यता दी जाती है जब यह संभावित है कि भावी आर्थिक लाभ जो कि आस्तियों से हुआ माना जा सकता है, कम्पनी के लिए होगा तथा आस्तियों की लागत विश्वासपूर्वक परिमाणित की जा सकती है। तथापि, रिपोर्टिंग दिनांक को कम्पनी के पास कोई अमूर्त आस्तियां नहीं है।

(7) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल एवं मन्दित अर्जन साम्या अंशधारियों के उपरोप्य अवधि के शुद्ध लाभ या हानि(उपरोप्य करों को घटाने के पश्चात्) एवं अवधि के दौरान बकाया साम्या अंशों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके परिकलित है।

प्रति शेयर मन्दित अर्जन, साम्या अंशों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के अन्त में बकाया मन्दन संभाव्य साम्या अंशों के अनुसार परिकलित है।

(8) आय कर

(ए) चालू एवं आस्थगित कर दोनों के लिये कर के प्रावधान किये जाते है। चालू आय कर हेतु प्रावधान निर्धारणीय आय के आधार पर चालू कर की दरों से किये जाते है।

(बी) आस्थगित आय कर, तुलन–पत्र की दिनांक को आस्तियों एवं दायित्वों के मूल कर एंव वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनो हेतु उनकी वहन राशि के मध्य सभी अस्थायी अन्तर पर लिया जाता है।

(सी) आस्थगित कर आस्तियां एवं दायित्वों को उस समय अधिनियमित या तुलन–पत्र की दिनांक को सारतः अधिनियमित कर दर एवं कर कानुनों के अनुसार परिमाणित किया जाता है।

(9) निवेश

दीर्घकालीन निवेश, यदि कोई हो, तो ऐसे निवेश मूल्य में अस्थाई के अतिरिक्त सूक्ष्मता के लिए, कम लागत प्रावधान पर किये गये है। चालू निवेश निम्नतर लागत एवं उचित मूल्य पर किये गये है।

(10) नकद (रोकड़) प्रवाह विवरण पर लेखामानक– 3

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष विधि अपनाते हुए तैयार किया गया है जिसमें गैर–नकदी प्रकृति के व्यवहार, पिछले कोई आस्थगन या उपार्जन या भावी ऑपरेटिंग नकद रसीद या भुगतान एवं निवेश करने या वित्त पोषण नकद प्रवाह के साथ सहयुक्त आय अथवा व्यय की मदों के प्रभावों के लिये कर पश्चात् समयोजन किया जाता है। कम्पनी की परिचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक–पृथक किया जाता है।

(11) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में हस्तगत नकद, बैंक–नकद, पी. डी. खाता एवं एफ.डी. खाता सम्मिलित है।

(12) प्रावधान एवं आनुषंगिक दायित्व

जब पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता हो तब परिमाण में अनुमान के पर्याप्त अंश निहित वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि स्त्रोतों का बाह्य गमन होगा। समाश्रित दायित्वों को मान्यता नहीं दी जाती है परन्तु टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

6. Intangible Assets:

Intangible assets are recognized only when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the assets will flow to the Company and the cost of the assets can be measured reliably. Intangible assets are stated at cost less accumulated ammortisation and impairment loss, if any. However, the Company has no intangible asset as on the reporting date.

7. Earning Per Share

Earnings per equity share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

8. Income Tax

(a) Provision for tax is made both for current and deferred taxes. Provision for current income tax is made on the current tax rates based on assessable income.

(b) Deferred Income Tax is provided on all temporary difference, at the balance sheet date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes.

(c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that been enacted or substantially enacted at the balance sheet date.

9. Investments

Long-term investments are stated at cost less provision for diminution other than temporary, if any, in value of such investments. Current investments are valued at lower of cost and fair value.

10. AS-3 on Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/(loss) after extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated based on the available information.

11. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents comprises of cash and cash at bank, PD account & FD account.

12. Provisions, Contingent Liabilities And Contingent Assets

A provision is recognised when the company has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions shall be

जब कम्पनी को किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता का सामना करना पड़े तो एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है और यह संभावित है कि बाध्यता के निपटारे के लिए संसाधनों के बाहिर्वाह की आवश्यकता पड़ेगी तथा जिसके सम्बन्ध में एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों का विनिर्धारण, रिपोर्टिंग तिथि को बाध्यता के निपटारे के लिए अपेक्षित प्रबन्धन प्राक्कलन पर आधारित होगा।

आकस्मिक दायित्वों को तथ्यों तथा अन्तर्ग्रस्त मामले के विधिक पहलुओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के पश्चात् प्रबन्धन के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जायेगा।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया जाएगा न ही प्रकट किया जाएगा तथापि, जब आय का प्रापण वस्तुतः निश्चित है, सापेक्ष आस्ति को मान्य किया जाता है।

(13) आस्तियों का ह्रासन

प्रतिवेदित दिनांक को यदि स्थिर आस्तियों की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो वहन राशि को वसूली राशि तक कम किया जाता है। वसूली योग्य राशि को शुद्ध विक्रय मूल्य से उच्चतर परिमाणित किया जाता है एवं उपभोग मूल्य भावी रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य द्वारा निश्चित किया जाता है।

(14) कर्मचारी परिलाभ

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्मचारी परिलाभ दायित्व (जैसे पेंशन, उपादान आदि) उनके पैतृक संगठन/विभाग का रहता है। कम्पनी, जहाँ कही नियमों के अनुसार प्रयोज्य है, नियमित रूप से उनके पैतृक संगठन/विभाग को अंशदान का संदान कर रही है।

(15) पूर्णविधि व्यय/आय

प्रत्येक मामले में 1,00,000/– रु. तक के/की पूर्वावधि से सम्बन्धित व्यय/आय, सम्बन्धित लेखा मद को प्रभावित/लेखाबद्ध किया जाएगा/की जाएगी।

(16) परिसमापन क्षति

मुविक्कलों/संविदाकारों के सम्बन्ध में विलम्ब, यदि कोई है के लिए परिसमापन क्षति/प्रतिकर को तब लेखाबद्ध किया जाएगा जब मामले को प्रबन्धन ने निपटा हुआ मान लिया है।

(17) मध्यस्थ निर्णय

प्रवर्तन के समय ध्यान में न रखी गयी सीमा तक के मध्यस्थ/न्यायालय निर्णयों को इनकी आज्ञप्ति होने के पश्चात् लेखाबद्ध किया जायेगा ऐसे प्रकरणों में ब्याज को वास्तव में भुगतान/प्राप्ति होने पर लेखाबद्ध किया जाएगा।

(18) संदिग्ध कर्जों/ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान

भारत सरकार, इसके विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित बन्द हुयी परियोजनाओं में व्यापार प्राप्यताओं/ऋणों तथा अग्रिमों की राशि को, प्राप्यताओं/ऋणों तथा अग्रिमों की कुछ भी वय होते हुए भी प्रापण हेतु उत्तम माना जाएगा। विवाद की दशा में ये कर्जे मुवक्किल के साथ अन्तिम समझौता किए जाने या मध्यस्थ/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने तक अनवरत अनुसरण के अध्यधीन है। संदिग्ध कर्जों/ऋणों व अग्रिमों के प्रति आवश्यक प्रावधान प्रबन्धन के पिछले अनुभव के आधार पर किया जाएगा प्राप्यताओं/अग्रिमों के अप्राप्य होना माने जाने पर अपलिखित कर दिया जाएगा।

determined based on management estimate required to settle the obligation on reporting date.

Contingent liabilities shall be disclosed on basis of judgment of management after a careful evaluation of facts and legal aspects of matter involved.

Contingent assets shall neither be recognized nor will be disclosed. However, when realization of income is virtually certain, related asset is recognized.

13. Impairment of Assets

If the carrying amount of fixed assets exceeds the recoverable amount on the reporting date, the carrying amount is reduced to the recoverable amount. The recoverable amount is measured as the higher of the net selling price and the value in use determined by the present value of future cash flows.

14. Employees Benefits

The employees' benefit liabilities of the officers/ employees on deputation (such as Pension, Gratuity, etc.) lie with their parent organization/ department. The company is paying the contributions regularly to their parent organization/ department, wherever applicable, as per Rules.

15. Prior Period Expenditure / Income

Expenditure / Income upto Rs. 1,00,000 in each case relating to prior period shall be charged / accounted for to the respective head of accounts.

16. Liquidated Damages

Liquidated Damages / Compensation for delay in respect of clients/ contractors, if any, shall be accounted for when matter is considered settled by management.

17. Arbitration Awards

Arbitration / Court's awards, to the extent not taken into accounts at the time of initiation, shall be accounted for after it becomes decree. Interest to / from in these cases are accounted for on actual payment /receipt basis.

18. Provision For Doubtful Debts / Loans And Advances

The amount of Trade Receivables / Loans and Advances in closed projects, pertaining to Government of India, its departments and Public Sector Enterprises shall be considered good for realisation irrespective of the age of receivable / loans and advances. In case of dispute, these debts are under constant persuasion for realisation till final settlement made with client or verdict is passed by the arbitrator / court. Necessary provision against doubtful debts / loans and advances shall be made based on the previous experience of Management. Receivables / Advances shall be written-off as and when considered unrealisable.

अंशपूंजी **टिप्पणी संख्या 2**

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
अधिकृत अंशपूंजी		
प्रत्येक 100 रू. मूल्य के 1,00,00,00 साम्या अंश	10,00,00,00	1,00,00,000
निर्गमित, अभिदत एवं प्रदत्त		
प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 100 रू के 50ए000साम्या अंश	5,000,000	5,000,000
	5,000,000	5,000,000

(2.1) बकायाअंशो की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2017 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2016 को अंशों की संख्या
वर्ष के प्रारम्भ में साम्या अंश	50,000	50,000
जोड़ियें : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	–	–
घटाईये : वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के क्रय द्वारा वापस लेने पर निरस्त	–	–
वर्ष के अन्त में साम्या अंश	**50,000**	**50,000**

(2.2) अंशों से बद्ध अधिकार, अधिमान एवं निर्बन्धन

साम्या अंश : कम्पनी के एक ही वर्ग के अंश 100/– रूपये के सममूल्य वाले अंश है। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश एक वोट करने के अधिकार का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अधिमान राशि के वितरण पश्चात् शेष रही आस्तियों को उनकी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(2.3) कम्पनी के अंशो के 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले अंशधारियों का विवरण

अंशधारक का नाम	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	धारिता का प्रतिशत	अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	अंशों की संख्या
महामहिम राज्यपाल की ओर से श्री सुरेश चन्द्र दिनकर (सचिव वित्त व्यय)	99.98	49,994	99.98	49,994
योग	**99.98**	**49,994**	**99.98**	**49,994**

आरक्षित एवं अधिशेष **टिप्पणी संख्या : 3**

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
लाभ एवं हानि खाता		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	(5,09,875)	(427,071)
वर्ष के लिये लाभ/(हानि)	(24,83,196)	(82,804)
अन्तिम शेष	(29,93,071)	(5,09,875)
योग	(29,93,071)	(509,875)

Share Capital **Note No. 2**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Authorised Share Capital :		
1,00,000 Equity shares of Rs.100/- each	10,000,000	10,000,000
Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
50,000 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up	5,000,000	5,000,000
	5,000,000	5,000,000

2.1 The reconciliation of the number of shares outstanding as under:

Particulars	As at 31st March, 2017 No. of Shares	As at 31st March, 2016 No. of Shares
Equity Shares at the beginning of the year	50,000	50,000
Add : Issued during the year	-	-
Less : Cancelled during the year on buy back of securities	–	–
Equity Shares at the end of the year	50,000	50,000

2.2 Right, Preferences and Restrictious attached to shares

Equity Shares : - The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100/- per share. Each shareholder is eligible for one vote per share held.In the event of liquidation, the Equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the Company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their share holding.

2.3 The details of shareholders holding more than 5% shares:

Name of Shareholder	As at 31st March, 2017		As at 31st March, 2016	
	% held	No. of Shares	% held	No of Shares
Shri Suresh Chandra Dinkar (Sec. Finance Expenditure) on behalf of his excellency the Governor of Rajasthan	99.98	49,994	99.98	49,994
Total	**99.98**	**49,994**	**99.98**	**49,994**

Reserves and Surplus **Note No. 3**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Profit and Loss Account		
As per last Balance Sheet	(509,875)	(427,071)
Profit/(Loss) for the year	(2,483,196)	(82,804)
Closing balance	(2,993,071)	(509,875)
TOTAL	(2,993,071)	(509,875)

आस्थगित कर दायित्व — **टिप्पणी संख्या : 4**

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
आस्थगित कर दायित्व (ए)	–	–
योग (ए)	–	–
आस्थगित कर आस्तियां (बी)		
हानियों को आगे लाये जाने से संबंधित	8,91,456	1,57,551
अवशोषित हास से संबंधित	6,344	.
स्थिर आस्तिया से संबंधित	(3822)	
योग (बी)	**8,93,978**	**1,57,551**
शुद्ध आस्थगित कर दायित्व {(ए)–(बी)}	**(8,93,978)**	**(1,57,551)**

भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–22 ''आय पर कर हेतु लेखांकन'' के अनुसार कम्पनी ने 8.94 लाख रूपये की आस्तियों पर आस्थगित कर नहीं दिया है, क्योकि आने वाले वर्षों में कर का क्रेडिट प्राप्त करने की कोई यथार्थ निश्चितता नहीं है।

अन्य गैर–चालू दायित्व — **टिप्पणी संख्या : 5**

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
धरोहर राशि	52,27,900	–
योग	**52,27,900**	**–**

चालू दायित्व — **टिप्पणी संख्या : 6**

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
राज्य सरकार से प्राप्त राशि (अधोलिखित टिप्पणी 6.1 देखें)	9,79,69,198	50,00,000
योग	**9,79,69,198**	**50,00,000**

कार्य का नाम	प्रारम्भिक शेष	इस वर्ष में प्राप्त राशि	व्यय	अन्तिम शेष
चांदपोल में बेरिक का निर्माण	–	2,50,00,000	5,78,889	2,44,21,111
दांतारामगढ़ थाने का निर्माण	–	1,14,00,000	8,51,913	1,05,48,087
एसडीआरएफ गाडोता में निर्माण	–	2,50,00,000	–	2,50,00,000
साईबर पुलिस थाने का निर्माण	–	30,00,000	–	30,00,000
शिप्रापथ थाना एवं दरबार स्कूल में लोअर /अपर सर्बोडिनेट आवासों का निर्माण	–	3,00,00,000	–	3,00,00,000
पुंजी व्यय	50,00,000	–	–	50,00,000
कुल	**50,00,000**	**9,44,00,000**	**14,30,802**	**9,79,69,198**

Deferred Tax Liabilities **Note No. 4**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Deferred Tax Liability (A)	–	–
Total(A)	–	–
Deferred Tax Asset (B)		
Related to carried forward losses	891,456	157,551
Related to unabsorbed depreciation	6,344	
Related to Depreciation on Fixed assets	(3,822)	
Total(B)	**893,978**	**157,551**
Net DTL [(A)- (B)]	**(893,978.00)**	**(157,551.00)**

In accordance with AS-22 "Accounting for taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Company has not provided for deferred tax asset of Rs 8.94 lacs, as there is no virtual certainty to get the tax credit in coming years.

Other non Current Liabilities **Note. No. 5**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Earnest Money Deposit	5,227,900	-
TOTAL	**5,227,900**	**-**

Current Liabilities **Note. No. 6**

(Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Funds received from State Government (refer note 6.1 below)	97,969,198	5,000,000
TOTAL	**97,969,198**	**5,000,000**

6.1 Funds received from State Government

Name of Work	Opening Balance	Fund Received During the Year	Expenditure Incurred*	Closing Balance
Barrack at Chandpole	-	25,000,000	578,889	24,421,111
Police Station at Dataramgarh	-	11,400,000	851,913	10,548,087
SDRF Gadota	-	25,000,000	-	25,000,000
Cyber Crime Police Station	-	3,000,000	-	3,000,000
Lower/Upper sub Quarter at Shipra Path Thana & Darbar School	-	30,000,000	-	30,000,000
Capital Expenditure	5,000,000	-	-	5,000,000
Total	**5,000,000**	**94,400,000**	**1,430,802**	**97,969,198**

*Expenditure incurred includes prorate charges

अन्य चालू दायित्व **टिप्पणी संख्या : 7**

(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
धरोहर राशि	57,07,000	–
व्यय हेतु लेनदार	6,45,285	1,19,843
वेतन देय	2,24,118	–
अमानत राशि	2,32,406	–
स्त्रोत पर कर की कटौती देय	12,269	–
सेवा कर देय	29,536	–
अंकेक्षण शुल्क देय	17,250	28,575
डब्ल्यू.सी.टी. देय	16,496	–
श्रमिक उपकर देय	10,935	–
पत्रकार कोष	3,829	–
पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष	(1)	–
योग	**68,99,123**	**1,48,418**

नगद एवं बैंक शेष **टिप्पणी संख्या : 9**

(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
हस्तगत रोकड़	–	–
बैंक शेष		
चालू खाता (पंजाब नेशनल बैंक में)	1,25,07,521	1,67,034
चालू खाता (आईडीबीआई बैंक में)	4,83,559	–
पी/डी खाता	8,14,00,000	70,00,000
स्थाई जमा खाता	1,75,00,000	24,00,000
	11,18,91,080	**95,67,034**

9.1 कम्पनी द्वारा रखे 08.11.2016 से 30.12.2016 एस.बी.एन. के विवरण के लिये टिप्पणी 18 देखें।

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम **टिप्पणी संख्या : 10**

(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
स्त्रोत पर कर की कटौती	29,631	43,202

अन्य चालू आस्तियां **टिप्पणी संख्या : 11**

(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को**	**31 मार्च, 2016 को**
एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	1,01,483	28,307
कर्मचारी को अग्रिम	18,600	–
योग	**1,20,083**	**28,307**

Other Current Liabilities — Note. No. 7 (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Earnest Money Deposit	5,707,000	-
Creditors for expenses	645,285	119,843
Salary Payable	224,118	-
Security Deposit	232,406	-
TDS Payable	12,269	-
Service Tax Payable	29,536	-
Audit fees payable	17,250	28,575
WCT payable	16,496	-
Labour Cess payable	10,935	-
Patrakar Fund	3,829	-
Patrakar Sahitya Kalyan Kosh	(1)	-
TOTAL	**6,899,123**	**148,418**

Cash and Bank Balances — Note. No. 9 (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Cash in hand	-	-
Balance with banks		
In current a/c (With Punjab National Bank)	12,507,521	167,034
In current a/c (With IDBI Bank)	483,559	-
P/D a/c	81,400,000	7,000,000
Fixed Deposit A/c	17,500,000	2,400,000
TOTAL	**111,891,080**	**9,567,034**

9.1 Please refer note no. 18 for details of Specified bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08/11/2016 to 30/12/2016.

Short Term Loans and Advances — Note. No. 10 (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Tax deducted at source	29,631	43,202
TOTAL	**29,631**	**43,202**

Other Current Assets — Note. No. 11 (Amount in ₹)

Particulars	As at 31st March, 2017	As at 31st March, 2016
Accrued Interest on FDR	101,483	28,307
Advance to staff	18,600	–
TOTAL	**120,083**	**28,307**

परिचालन से राजस्व — **टिप्पणी संख्या : 12**
(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये**
आनुपातिक दर से आय	1,16,694	–

अन्य आय — **टिप्पणी संख्या : 13**
(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये**
निविदा शुल्क	2,34,600	–
ब्याज की आय	2,00,359	1,43,973
कार्मिक से वाहन किराया	10,342	–
आयकर की प्रतिदाय पर ब्याज	1,173	–
योग	**4,46,474**	**1,43,973**

कार्मिक हित लाभ व्यय — **टिप्पणी संख्या :14**
(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये**
वेतन	23,70,993	–
योग	**23,70,993**	**–**

परिचालन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय — **टिप्पणी संख्या : 15**
(राशि रूपयों में)

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये**
प्रशासनिक व्यय		
वाहन किराया	3,15,295	–
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	2,02,200	1,93,000
सुरक्षा व्यय	73,833	–
विज्ञापन व्यय	36,359	–
अंकेक्षण शुल्क	17,425	17,175
टेलीफोन व्यय	7,841	–
डीएससी व्यय	7,300	–
छपाई एवं स्टेशनरी	3,900	5802
जलपान के लिये व्यय	1,710	–
बैंक शुल्क	1,064	–
आरओसी फाइलिंग प्रभार	–	10,800
योग	**6,66,927**	**2,26,777**

Revenue from Operations — Note. No.12 (Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
Prorate Charges	116,694	–
TOTAL	**116,694**	**–**

Other Income — Note. No.13 (Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
Tender Fees	234,600	-
Interest on FDR	200,359	143,973
Vehicle Rent from Employees	10,342	-
Interest on TDS Refund	1,173	-
TOTAL	**446,474**	**143,973**

Employee Benefit Expenses — Note No. 14 (Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
Salaries	2,370,993	-
TOTAL	**2,370,993**	**-**

Operational,Administrative and Other Expenses — Note. No. 15 (Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
Administrative Expenses		
Vehicle Hiring Expenses	315,295	-
Legal and professional fees	202,200	193,000
Security Expenses	73,833	-
Advertisement Expenses	36,359	-
Audit fees	17,425	17,175
Telephone Expenses	7,841	-
DSC Expenses	7,300	-
Printing & Stationery	3,900	5,802
Refreshment Expense	1,710	-
Bank Charges	1,064	-
ROC Filing Charges	-	10,800
TOTAL	**666,927**	**226,777**

15.1 अंकेक्षकों को भुगतान **(राशि रूपयों में)**

विवरण	**31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिये**	**31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिये**
वैधानिक अंकेक्षणों के लिए	17,425	17,175
योग	17,425	17,175

प्रति अंश अर्जन **टिप्पणी संख्या : 16**

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016–17**	**वित्तीय वर्ष 2015–16**
लाभ व हानि खाता के अनुसार कर पश्चात् लाभ	(24,83,196)	(82,804)
बकाया साम्या अंशों की संख्या	50,000	50,000
प्रति अंश का अंकित मूल्य (रूपये)	100.00	100.00
मूल एवं मन्दित ईपीएस (रूपये)	(49.66)	(1.66)

संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण **टिप्पणी संख्या : 17**

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 "सम्बन्धित पक्षकार के प्रकटीकरण" के अनुसार, कम्पनी का संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

17.1 सम्बन्धित पक्षकारों के नाम एवं उनसे सम्बन्ध

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री मनोज भट्ट
श्री अजीत सिंह
श्री सुबीर कुमार
श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता
श्री सुरेश चन्द्र दिनकर
श्री जसवन्त सम्पतराम
श्री आलोक त्रिपाठी
श्री अशोक पाटनी

17.2 तथापि संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संव्यवहार नहीं है।

स्पैशीफाईड बैंक नोट (एसबीएन) का प्रकटीकरण **टिप्पणी संख्या : 18**

कम्पनी द्वारा रखे 08.11.2016 से 30.12.2016 एस.बी.एन. का विवरण

विवरण	**एसबीएन**	**अन्य प्रभुत्व टिप्पणियां**	**योग**
अन्तिम हस्तगत रोकड़ 08.11.2016	–	2,200	2,200
(+) अनुमत प्राप्ति	–	6,400	6,400
(-) अनुमत व्यय	–	6,400	6,400
(-) बैंक में जमा कराई गई राशि	–	–	–
अन्तिम हस्तगत रोकड़ 30.12.2016	–	2,200	2,200

सामान्य टिप्पणियां **टिप्पणी संख्या : 19**

19.1 निजी खातों (डेबिट/क्रेडिट), विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टीकरण के अधीन है।

19.2 बैंक शेषों को यथा लेखा–पुस्तकों के लिया गया है एवं माना गया है।

15.1 Payment to Auditors (Amount in ₹)

Particulars	For the year ended 31st March, 2017	For the year ended 31st March, 2016
For statutory audit	17,425	17,175
TOTAL	**17,425**	**17,175**

Earnings Per Share (EPS) **Note No. 16**

Particulars	F.Y. 2016-17	F.Y. 2015-16
Profit after tax as per Profit and Loss Account	(2,483,196)	(82,804)
Number of equity shares outstanding	50,000	50,000
Face value per equity share (in ₹)	100.00	100.00
Basic and diluted earning per share (EPS) (in ₹)	(49.66)	(1.66)

Related Party Disclosures **Note No. 17**

As per Accounting Standard 18- "Related Party Transactions" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the company is not having any transactions with related parties

17.1 List of related parties and their relationships -

Key Managerial Person

Manoj Bhatt

Ajit Singh

Subir Kumar

Devendra Bhushan Gupta

Suresh Chandra Dinker

Jaswant Sampatram

Alok Tripathi

Ashok Patni

17.2 However there are no transactions with related Parties.

Disclosure on Specified Bank Notes (SBNs) **Note No. 18**

18.1 Details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08/11/2016 to 30/12/2016 is as under:-

Particulars	SBNs	Other Denomination Notes	Total
Closing Cash in Hand as on 08.11.2016	-	2,200	2,200
(+) Permitted Receipts	-	6,400	6,400
(-) Permitted Payments	-	6,400	6,400
(-) Amount deposited in Banks	-	-	-
Closing Cash in hand as on 30.12.2016	-	2,200	2,200

General Notes **Note No. 19**

19.1 Balance in personal accounts (Debit/Credit), sundry debtors and creditor are subject to confirmation.

19.2 Bank balance has been taken and accepted as per books of accounts

टिप्पणी संख्या : 20

सामान्य परिचालन चक्र एवं आस्तियों और दायित्वों का चालू व गैर–चालू में वर्गीकरण

20.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में निर्दिष्ट मानदण्डोंके अनुसार निजी खातों (डेबिट/क्रेडिट), विविध देनदारों तथा लेनदारों के शेष पुष्टीकरण के अधीन है। कम्पनी के व्यापार की प्रकृति इसको परिचालन एवं वसूलीके आधार पर, कम्पनी ने अपना परिचालन चक्र को 12 माह से कम निश्चित किया है। तद्नुसार, आस्तियों एवं दायित्वों का चालू व गैर–चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ 12 माह की अवधि विचारित की है।

20.2 उपरोक्त सामान्य परिचालन चक्र एवं अनुसूची–III में विहित अन्य मानदण्डों को लागू करते हुये उपरोक्त व्यापार की आस्तियों एवं दायित्वों की चालू एवं गैर–चालू में वर्गीकृत किया गया है।

कृते गर्ग नरेन्द्र एण्ड एसोशिएटस्
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ.आर.एन. 008712सी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये व निमित्त

–ह0–	–ह0–	–ह0–	–ह0–
(अदिती तोतुका)	**(ए.पौन्नूचामी)**	**(आलोक त्रिपाठी)**	**(अजीत सिंह)**
साझेदार	प्रबन्ध निदेशक	निदेशक	निदेशक
सं.सं. 070530	डीआईएन : 07869683	डीआईएन : 07653593	डीआईएन : 06577646

स्थान : जयपुर
दिनांक : 05.09..2017

Note No. 20

Normal Operating Cycle and Classification of Assets and Liabilities into Current and Non- Current

20.1 All assets and liabilities are presented as current or non current as per criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013.Based on the nature of business of the company, its operation and realisation the company has ascertained its operating cycle of less than 12 months.Accordingly 12 months period has been considered for the purpose of Current and non currrent classification of assets and liabilities.

20.2 Assets and Liabilities of the above Business have been classified into Current and Non Current using the above Normal Operating Cycle and applying other criteria prescribed in Schedule III.

For Garg Narendra & Associates
Chartered Accountants
FRN 008712C

For and on behalf of the Board of Directors of
Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd.

(Rakesh Totuka)	(Ayyanu Moonpanar Ponnuchamy)	(Alok Tripathi)	(Ajit Singh)
Partner	Managing Director	Director	Director
M.No. 070530	DIN:07869683	DIN:07653593	DIN:06577546

Place : Jaipur
Date :

संख्या जीएसएसए–बी/एस–6/एए/आरपीएचसीसीएल/2016–17/के–861/414

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान

जनपथ, जयपुर–302005

दिनांक 28.09.2017

प्रबंध निदेशक,

राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड,

कक्ष संख्या –105, नया पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।

विषयः राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अधीन समीक्षा न करने का "असमीक्षा प्रमाण पत्र" (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट) जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वार्षिक लेखें एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

ह0

उपमहालेखाकार

(जी.एस.एस.ए.–II)

संलग्नः उपरोक्तानुसार

No. GSSA-II/S-5/AA/RPHCCL/2016-17/K-351/414

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN, JANPATH, JAIPUR-302005

सत्यमेव जयते

Managing Director
Rajasthan Police Housing & Construction
Corporation Ltd. Jaipur,
Room No. 105, Raj. Police Headquarter,
Lal Kothi, Jaipur

Subject: Comments of the Controller & Auditor General of India on the Accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. Jaipur for the year ended 31st March, 2017

Sir,

Under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 I am directed to submit before Annual General meeting, the comments of the Comptroller & Auditor General of India, undewr section 143(6)(a) on the accounts of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Ltd. Jaipur for the year ended 31st March, 2017.

Seven copies of financial statement and auditors report may be placed and accepted in the annual general meeting may be sent to this office at the earliest possible.

Yours,
Sd

Dy. Accountant General
(G.S.S.A-II)

Enclosed: As above

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणी

राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व उन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित किये गये लेखा परीक्षण व आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित मत व्यक्त करने का है। उनके द्वारा ऐसा किया जाना उनकी अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 5 सितम्बर, 2017 में वर्णित है। मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के निमित्त, राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लेखों की अनुपूरूरक अंकेक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है और इस तरह कम्पनी अधिनियम, 143 के धारा 6(बी) के अन्तर्गत कोई टीका–टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए व निमित्त

–ह0–

(आर.जी.विश्वनाथन)

प्रधान महालेखाकार (सा. एवं सा. क्षे. ले प.)राजस्थान, जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांक : 28.09.2017

COMMENTS OF THE COMPRTOLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAJASTHAN POLICE HOUSING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED, JAIPUR FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

The preparation of financial statement of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31st March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller & Auditor General of India under section 139(5) of the act is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 143 of the act based on independent audit in accordance with the standards on auditiong prescribed under section 143(10) of the act. This is stated to have been done by them vide there audit report dated 05.09.2017.

I, on behalf of Comptroller & Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Police Housing & Construction Corporation Limited, Jaipur for the year ended 31st March 2017 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place: Jaipur
Date: 28.09.2017

Sd
(R.G. Vishwanathan)
Principal Accountant General (G&SSA)
Rajasthan, Jaipur

Under construction of 100 men barrack at 14th RAC Pahari, Bharatpur

निर्माणाधीन पुलिस आवास, दरबार स्कूल, जयपुर

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर ✆ 0141-4043938